न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर जिला बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–388/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
तहसीलदार बाडमेर		राजस्थान सरकार

रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 131 एवं 132

आदेश

राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में मौके पर स्थाई रूप में चालू (कदीमी) परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी रूप में दर्ज नही है को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बाडमेर के प्रस्ताव दिनांक 26.03.2025 द्वारा मौजा तिरसींगड़ा पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर में स्थाई रास्ता जो बिशाला से बोला जोने वाली डामर सड़क से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तिरसींगड़ा तक रास्ता चल रहा है, जिसकी लम्बाई 1240 मीटर है, जो बरंग लाल है, जिसे रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है जो वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही है, की किस्म परिवर्तित कर रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया साथ ही तहसीलदार बाडमेर ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। मौके पर रास्ता बना हुआ है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

पटवार मण्डल – बोला **तहसील – बाडमेर**

वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टी							नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टी				
क्र.सं.	जीसीएमस पोर्टल पर दर्ज क्रमांक	तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	खसरा नम्बर	रास्तें में प्रभावित रकबा (हैक्टेयर में)	रास्ते की लम्बाई चौड़ाई (मीटर में) लम्बाई X चौड़ाई		किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	2025/	26.03.2025	तिरसींगड़ा	128/106	17.9599	गै.मु. पहाड़ी	128/106	1.1346	1240	9.15	गै.मु. रास्ता

नोट :– तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

आदेश सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर